फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री मांगीलाल — **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. — **पत्रावली संख्या : 66/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.05.2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम पपुडा पिता वाला गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत गुडली द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक ग्रा.प.गु./2019–20 दिनांक 08.09.2019, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, 8वीं बोर्ड अंक तालिका की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम मांगीलाल अंकित है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मांगीलाल होना जाहिर आया हैं। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट में पपुडा व मांगीलाल को एक ही व्यक्ति होना बताकर नाम संशोधन किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 1747, 1749, 1755, 1761, 1762, 1763, 1764, 1768, 1769, 1770, 1775, 1776 किता 12 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि में खातेदार पपुडा पिता वाला के बजाय पपुडा उर्फ मांगीलाल पिता वाला संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

([illegible] सिंह राठौड)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.05.17 09:45:06 IST
Reason: SelfAttested